न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–मगराजसिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2016

दायर दिनांक–18.5.2016
निर्णय दिनांक–28.3.2018

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री विरेन्द्रसिंह, नरेन्द्रसिहं महेन्द्रसिंह, कमलेन्द्र सिंह ताराकुंवर ,लालकुंवर, देवेन्द्रकुंवर, चन्द्रमणीकुवंर, बृजकुंवर शिवकुमारी,पिता यादवेन्द्रसिंह, एवं मु0 बसन्तकुंवर बेवा यादवेन्द्रसिंह राजपुत निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (रा0)

....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

उपस्थित–

1. श्री राजकीय पेरोकार नायब तहसीलदार डूंगरपुर वास्ते प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल पण्डया अभिभाषक वास्ते विपक्षी

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा झलाप के गत सेटलमेन्ट संवत 2008 साबिक खसरा नंबर 1159 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकीन तालाब बिलानाम अंकित था। उक्त भूमि के हाल आराजी नंबर 1233 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. नाला की किस्म परिवर्तित कर उक्त भूमि रोहन I 50 बीघा रोहन II 25.19 बीघा तालाब 43.16 दर्ज की गयी। भू–प्रबन्ध के दौरान संवत 2014 की जमाबंदी मे उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज श्री यादवेन्द्रसिंह पिता संग्रामसिंह राजपुत निवासी पीठ के खातेदारी मे दर्ज हो गयी एवं वर्तमान मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज होने से भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा ने उक्त भूमि के आर.टी.ए. 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही होने से उक्त खातेदारी भूमि को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स करने हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर प्रकरण संख्या 13/2006 रेफरेन्स मे पारित निर्णय दिनांक 31.07.2006 के द्वारा तत्कालिन पाठासीन अधिकारी द्वारा उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात उक्त भूमि को निरस्त कराने हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स करने के आदेश पारित किये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपने प्रकरण संख्या 6022/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 19.02.2015 के द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि अप्रार्थीगण को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण कर प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने पर पुनः रेफरेन्स प्रकरण मण्डल मे प्रस्तुत करें।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षों को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश करते हुए बताया है कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट 2008 के पूर्व से ही विपक्षीगणों के पूर्वजों का ही कब्जा होने के उपरान्त भी सेटलमेन्ट की गलती से इसे बिलानाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन संवत 2014 के सेटलमेन्ट द्वारा इस गलती को सुधार कर इस भूमि को विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम से पुनः यथावत दर्ज किया गया। उक्त भूमि विपक्षीगण के खाते मे विधि विरूद्व रूप से दर्ज नही की गई है। संवत 2014 मे किसी प्रकार से नयी निजि खातेदारी नही दी गई है वरन् गलती को सुधारा गया है। ऐसी स्थिति मे इतने लम्बे अन्तराल के बाद प्रार्थी की ओर से रेफरेन्स हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना युक्ति युक्त व तर्क संगत समय के भीतर नही होने के कारण कतई औचित्यपूर्ण नही होने से धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना विधिवत मान्य नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से मामले मे रेफरेन्स कार्यवाही नही फरमाई जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से पुनः अतिरिक्त जवाब पेश करते हुए बताया कि एक वाद संख्या 27/57 उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर की न्यायालय मे अधिकारी अभिलेख की प्रविष्ठी को दुरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका आदेश दिनांक 07.11.1958 के द्वारा इस भूमि को खातेदार वादी संग्रामसिंह का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार मामले मे कारित भूमि को उक्त आदेश के द्वारा सुधारा गया है। उक्त आदेश की नकल चाहने हेतु उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मे आवेदन किया गया लेकिन नकल प्राप्त नही हो सकी ओर उक्त कार्यालय द्वारा पुराना रेकार्ड उपलब्ध नही होना मौखिक रूप से बताया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब की पुष्ठि मे निम्न साइट्रेशन पेश किये हैः—

1. आर.एल.डब्ल्यु. 1996 (1) राज पेज 396 आन्नदीलाल बनाम स्टटे ऑफ राजस्थान डी.बी. सिविल स्पे. अपील नंबर 72/1987 निर्णय दिनांक 09. 10.1995
2. 2015 (4) आर.एल.डब्ल्य 2721 (राज) तारा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य डी.बी.सिविल स्पे. अपील नंबर 185/2001 निर्णय दिनांक 15.07. 2015
3. आर.आर.डी. 2005 पेज 742 किशनलाल बनाम स्टेट ऑफ राज. एस.बी. रीट पीटीशन संख्या 2234/1994 निर्णय दिनांक 10.05.2005 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के न्यायालय मे दर्ज वाद संख्या 27/57 मे पारित आदेश दिनांक 07.11.1958 की मूल पत्रावली भिजवाने हेतु इस न्यायालय से पत्र कमांक 146 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को लिखा गया लेकिन उनके द्वारा न तो पत्रावली भिजवाई ओर न ही कोई सूचना भिजवाई गई। ऐसी स्थिती मे वकील अप्रार्थीगण ने इस प्रकरण मे अंतिम बहस करने हेतु निवेदन किया।

ऐसी स्थिति मे पत्रावली का एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस उभयपक्षों की समायत की गयी।

राजकीय पेरोकार ने अपनी ओर से बहस के दौरान मुख्य रूप से यह बताया है कि अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई भी राजस्व रेकार्ड पेश नही किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज यादवेन्द्रसिंह राजपुत पिता संग्रामसिंह राजपुत एवं उनके पूर्वज संग्रामसिंह राजपुत निवासी पीठ के नाम से बन्दोबस्त संवत 2008 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा हो। ऐसी स्थिति मे आर.टी.ए. की धारा 16 के तहत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही होने से उक्त खातेदारी भूमि को निरस्त करने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स करने का आदेश पारित किया जावें।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी ओर मे बहस के दौरान प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया है कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट 2008 के पूर्व से ही विपक्षीगणों के पूर्वजों का ही कब्जा होने के उपरान्त भी सेटलमेन्ट की गलती से इसे बिलानाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन संवत 2014 के सेटलमेन्ट द्वारा इस गलती को सुधार कर इस भूमि को विपक्षीगण के पूर्वजो के नाम से पुनः यथावत दर्ज किया गया। उक्त भूमि विपक्षीगण के खाते मे विधि विरूद्व रूप से दर्ज नही की गई है। संवत 2014 मे किसी प्रकार से नयी निजी खातेदारी नही दी गई है वरन् गलती को सुधारा गया है। ऐसी स्थिति मे इतने लम्बे अन्तराल के बाद प्रार्थी की ओर से रेफरेन्स हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना युक्ति युक्त व तर्क संगत समय के भीतर नही होने के कारण कतई औचित्यपूर्ण नही होने से धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना विधिवत मान्य नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से मामले मे रेफरेन्स कार्यवाही नही फरमाई जावे। एक वाद संख्या 27/57 उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर की न्यायालय मे अधिकार अभिलेख की प्रविष्ठी को दुरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसका आदेश दिनांक 07.11.1958 के द्वारा इस भूमि को खातेदार वादी संग्रामसिंह का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार मामले मे कारित भूमि को उक्त आदेश के द्वारा सुधारा गया है। उक्त आदेश की नकल चाहने हेतु उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मे आवेदन किया गया लेकिन नकल प्राप्त नही हो सकी ओर उक्त कार्यालय द्वारा पुराना रेकार्ड उपलब्ध नही होना मौखिक रूप से बताया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने साईटेशन के रूप मे 2017(1)आर.आर.टी. 73 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गौरा वगैराह रेफरेन्स नंबर 11709/2007 निर्णय दिनांक 04.11.2015 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए बताया है कि तहसीलदार सीमलवाडा के द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण नियमों के विपरित पेश किया गया है अतः प्रकरण को रेफरेन्स नही करते हुए खारीज करने का आदेश पारित किया जावें।

उभयपक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलों पर गोर से मनन करने पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम राज्य के प्रकरण मे पारित निर्णय की अनुपालना मे 15 अगस्त 1947 को बिलानाम दर्ज समस्त जलाशयों, तालाब, नदियों, नालो आदि को यथावत दर्ज करने की आदेश की पालना मे भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा यह प्रार्थना पत्र वीरेन्द्रसिंह वगैराह के विरूद्व वर्तमान खसरा नंबर 1233 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा झलाप तालाब संवत 2008 मे गत आराजी खसरा नंबर 1159 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन तालाब अंकन होने व संवत 2014 के भू–प्रबन्ध मे यादवेन्द्रसिंह की खातेदारी मे एवं वर्तमान मे अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने से उक्त भूमि को निरस्त किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स करने यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई भी राजस्व रेकार्ड पेश नही किया गया है कि जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज यादवेन्द्रसिंह राजपुत पिता संग्रामसिंह राजपुत एवं उनके पूर्वज संग्रामसिंह राजपुत निवासी पीठ के नाम से बन्दोबस्त संवत 2008 यानि दिनांक 15.08.1947 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा हो। ऐसी स्थिति मे आर.टी.ए. की धारा 16 के तहत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को प्रदत्त नही हो सकते है। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के न्यायालय मे दर्ज वाद संख्या 27/57 मे पारित आदेश दिनांक 07.11.1958 की मूल पत्रावली भिजवाने हेतु इस न्यायालय से पत्र कमांक 146 दिनांक 02.02. 2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को लिखा गया लेकिन उनके द्वारा न तो पत्रावली भिजवाई ओर न ही कोई सूचना भिजवाई गई।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौजा झलाप के गत आरजी खसरा नंबर 1159 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. तालाब बिलानाम मे से रकबा 119 बीघ 15 बिस्वा भूमि हाल आराजी खसरा नंबर 1233 रकबा 119 बीघा 15 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) के दौरान संवत् 2014 मे अप्रार्थीगण के पिता एवं पति के खातेदारी मे दर्ज हो जाने से तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रारंभ से ही शून्य एवं बेअसर होने से भूमि को अप्रार्थीगण श्री विरेन्द्रसिंह पिता यादवेन्द्रसिंह राजपुत निवासी पीठ वगैराह के खाते से खारीज करने की समुचित कार्यवाही हेतु राजस्थान भू–राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अधिनियम 1956 की धारा 82 के प्रावधानों के तहत प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किये जाने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही तहसीलदार सीमलवाडा को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार वे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे राजकीय अधिवक्ता से इसमे संबंधित अभिलेख/पत्रावली के साथ सम्पर्क स्थापित कर उनके माध्यम से रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत करें। निर्णयानुसार पालना करने हेतु निर्णय की प्रति के साथ इस न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार सीमलवाडा को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर

(विनय पाठक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
डूंगरपुर